संख्या-18/2023/001-60 3 2023 सी-351364

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-645/निदे0म0क0/अनुदान/नियंत्रण बोर्ड/2023-24, दिनांक 11.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-06-अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 लागू करने के निमित्त नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 को अनुदान के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0-80.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0-37.62 लाख को निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का निवर्तन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में समस्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित प्रावधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुवल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

(6) उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान सं0-49 के राजस्व मद में मुख्य लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 2235021900600 अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम 1960 लागू करनें के निमित नियन्त्रण बोर्ड उ.प्र. को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 37,62,000 (रुपये सैंतीस लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 2235021900600 अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम 1960 लागू करनें के निमित नियन्त्रण बोर्ड उ.प्र. को अनुदान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2023/001-60 3 2023 C 351364, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।